न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 26 / 2016

प्रार्थी	वनाम	अप्रार्थीगण
प्रकाश पुत्र मदनराम जाति जाट निवासी कालियास तहसील मुण्डवा		1 सोहनराम पुत्र मदनराम निवासी कालियास तहसील मुण्डवा। 2 रूघाराम पुत्र मदनराम जाति जाट निवासी कालियास तहसील मुण्डवा।

उपस्थिति–

1 श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।

2 श्री बाबूलाल खोजा, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

दिनांक 13.02.2023

निर्णय

1– प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत माणकपुर द्वारा पट्टा दिनांक 13.12.1990 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 11.02.2016 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 01.03.16 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री बाबूलाल खोजा, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 02 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पट्टा दिनांक 13.12.90 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत माणकपुर के पत्र दिनांक 19.01.16 की फोटोप्रति, नक्शा किश्तवार की फोटोप्रति, ग्राम कालियास की जमाबंदी सम्वत् 2066 से 69 की फोटोप्रति, खसरा परिवर्तनशील की फोटोप्रति तथा वकील अप्रार्थी संख्या 01 न्यायालय सिविल न्यायाधीश नागौर के प्रकरण संख्या 140 / 14 सोहनराम वनाम रूघाराम व अन्य के निर्णय दिनांक 29.04.15 की फोटोप्रति, एफआर नम्बर 20 दिनांक 11.08.16 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– अप्रार्थी संख्या 1 के नाम का तथाकथित पटटा फर्जी तौर से अपराधिक षडयंत्र के तहत तैयार किया गया है क्योंकि कथित बाडे पर शुरू से लेकर यानि सन् 1965 से पूर्व से निगरानीकर्ता, अप्रार्थी संख्या 2 व उनके पूर्वजो का कब्जा उपयोग उपभोग रहता चला आया है। उक्त जायगा बाबत अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिवार का कभी कोई सरोकार, कब्जा हक अधिकार नहीं रहा था। चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 अत्यन्त ही चतुर व चालक व्यक्ति है जिसने तत्कालीन सरपंच वगैरा से मिलावट कर या अपने अन्य सहयोगियों से मिलावट व अपराधिक षडंयत्र कर उक्त जायगा का अपने नाम का कथित सरासर फर्जी पटटा बाले बाले तैयार किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

2(2)– उक्त पटटा बनाने हेतु न तो अप्रार्थी संख्या 1 का कोई आवेदन ग्राम पंचायत माणकपुर में किया हुआ है न ही कथित पटटा बनाने हेतु ग्राम पंचायत माणकपुर में कोई मिसल कायम की गई न ही ऐसा रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध है इसलिए समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए उक्त पटटा बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये विधि के प्रावधानों के विपरीत छल कपट पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 ने तैयार किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

2(3)– उक्त पटटे पर न तो मिसल नम्बर है, न पटटा नम्बर है न ही किसके आदेश से बनाया कोई उल्लेख है न ही रसीद नम्बर दर्ज है न रसीद की दिनांक दर्ज है पटटे में अधिकतर कॉलम खाली है, पटटे पर न नक्शानवीश के हस्ताक्षर है न ही उप सरपंच के हस्ताक्षर है न ही उक्त जायगा के पडौसी ही मैल खाते है आश्चर्य की बात तो यह है कि उक्त जायगा मौके पर त्रिभुजाकार है इसके बावजुद कथित फर्जी पटटे पर जायगा को आयताकार दर्शाया हुवा है क्योंकि निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत माणकपुर जिसके द्वारा उक्त पट्टा जारी करना अप्रार्थी संख्या 1 बता रहा है उससे पट्टे के संबंध में नकले मांगी तो ग्राम पंचायत ने यह बताया कि ऐसा कोई पट्टा ग्राम पंचायत माणकपुर द्वारा कभी जारी नहीं किया गया है प दिनांक 19.01.16 को सचिव ग्राम पंचायत माणकपुर ने यह लिखित में दिया कि आप द्वारा चाही गयी सूचना दिनांक 13.12.1990 को सोहनराम पुत्र मदनराम जाट निवासी कालियास के नाम जारी किये गये पटटा की व इससे संबंधित सम्पूर्ण मिसल की कोई पत्रावली ग्राम पंचायत के प्राप्त रिकॉर्ड अनुसार उपलब्ध नहीं हैं। अतः उक्त पटटा निरस्त किये जाने योग्य है।

2(4)– उक्त जायगा अप्रार्थी संख्या 1 की कब्जासुद पटटासुद होती तो मौके पर उसका कब्जा अवश्य होता मगर उक्त बाडे पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 का व इनके परिवार वालो का शुरू से लेकर वर्तमान तक निरन्तर बेरोक टोक कब्जा उपयोग उपभोग रहता चला आया है। बिना कब्जा उपयोग उपभोग के अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा फर्जी तरीके से अपने नाम तैयार किया गया पटटा निरस्तनीय है।

अपर कलक्टर, नागौर

2(5)–तथाकथित पटटे की कोई मिसल ग्राम पंचायत माणकपुर में नहीं है, उक्त पटटा फर्जी है उस पर कोई नम्बर आदि दर्ज नहीं है अधिकतर कॉलम खाली है व उस पर न तो पटटा संख्या दर्ज है न मिसल नम्बर दर्ज है न नक्शा नवीश के हस्ताक्षर है जिससे यह साफ जाहिर होता है कि पटटा बनाने हेतु न तो अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत में कोई आवेदन पेश किया न ही इस फर्जी पटटा बनाने संबंधी कोई मिसल चली न ही उक्त पटटा विधिवत जारी किया गया क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी करने से पूर्व आपति सूचना आमंत्रित की जाती है, मौके निरीक्षण पंचो से करवाया जाता है व पंचायत द्वारा पटटे की राशि वसूल कर रसीद दी जाति है व उस रसीद के नम्बर पटटे में दर्ज किये जाते है व पटटे की बुक में से जारी पटटे के पटटा नम्बर अंकित किया जाकर पटटे हेतु चल रही मिसल के नम्बर दर्ज कर प्रस्ताव लिया जाकर पटटा जारी करने का आदेश दिया जाता है लेकिन इस फर्जी पटटे के संबंध मे ऐसी कोई विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी क्योंकि उक्त पटटा ग्राम पंचायत ने जारी ही नहीं किया है अप्रार्थी संख्या 1 ने फर्जी तरीके से तैयार किया है जिससे भी पट्टा निरस्तनीय है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2012(2) पेज 1265 से 1267, 2015(2)डीएनजे(राज) पेज 595 से 599, 2015(1)डीएनजे(राज) पेज 443 से 448, आरआरटी 2013(1) पेज 350 से 354 तथा आरआरटी 2019(1) पेज 37 से 40 तक नजीरे पेश की।

3– अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त पटटा 1990 में जारी किया गया तथा प्रार्थी को उक्त पटटे के बारे मे 2014 को जानकारी थी परन्तु निगरानी 2016 मे पेश की, इतनी देरी से पेश करने का कोई सन्तोषजनक कारण नहीं बताया। सिविल कोर्ट ने भी डिक्री जारी करते हुए पटटे को सही माना है। प्रकरण संख्या 24/16 द्वारा एफआई आर दर्ज करवायी थी कि पटटा फर्जी है। जांच में पटटा सोहनराम के नाम सही जारी हुआ है। सरपंच के हस्ताक्षर है। निगरानी में ग्राम पंचायत पक्षकार आवश्यक होती है, परन्तु निगरानीकर्ता ने पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया। ग्राम पंचायत में रिकार्ड उपलब्ध नहीं है तो यह साबित नहीं है कि पट्टा फर्जी है तथा अपने कथन के समर्थन में 2015(4) डीएनजे(राज) पेज 1853 से 1855, आरआरटी 2005(2) पेज 1225 से 1230, आरआरटी 2018–19 (supp.) पेज 125 से 128, आरआरटी 2008(1) पेज 8 से 12, 2008(2) डीएनजे(राज) पेज 735 से 741, लीगल डाटा पेज 2, 2009(1) डीएनजे(राज) पेज 194 से 195 तथा 2007(3) डीएनजे(राज) पेज 1412 से 1416 तक नजीरे पेश की।

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत माणकपुर के पट्टा दिनांक 13.12.90 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। जैर निगरानी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पुलिस अनुसंधान के अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 का आराजी भूमि पर पुराना कब्जा होना प्रकट होता है तथा न्यायालय सिविल न्यायाधीश नागौर के दीवानी मूल प्रकरण संख्या 140/14 (1166/15) सोहनराम बनाम रूघाराम व अन्य के निर्णय अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 का उक्त आराजी पर कब्जा होना प्रतीत होता है। जिससे प्रथम दृष्टि से ही मामला प्रार्थी के पक्ष मे रिकार्ड से साबित नही है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर